UPSL040042512026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी।

विविध प्रा0पत्र सं0–256 / 2026

कम्प्यूटर संख्या–405 / 2026

धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0,
थाना चंदौसी, जिला सम्भल
अनूप कुमार बनाम नन्हें एवं अन्य।

12.06.2026

प्रार्थनापत्र आदेशार्थ पेश हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 पूर्व की तिथि पर विस्तारपूर्वक सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत करके याचना की गयी है कि विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने एंव विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि दिनांक 25.03.2026 को सुबह लगभग 08:15 बजे प्रार्थी घर से फल लेने गया था। फल के ठेले न लगने के कारण प्रार्थी अपने घर खुर्जा गेट वापस लौट रहा था तभी प्राणनाथ प्रोवीजन स्टोर लाठी बाजार चन्दौसी के सामने से दो अज्ञात साईकिल सवार व्यक्ति मेरे सामने आये और अचानक प्रार्थी के गले में पहनी हुई सोने की चौन पर झपट्टा मारकर तोड़ ली और मौके से फरार होने लगे। प्रार्थी ने हिम्मत जुटाकर भागते हुए एक व्यक्ति को पकड़कर दबोच लिया। प्रार्थी ने जब उस व्यक्ति से उसका नाम कड़ाई से पूछा तो उसने अपना नाम नन्हे पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम पतरौआ बताया। प्रार्थी की टूटी हुई सोने की चौन इस व्यक्ति से बरामद हो गई। प्रार्थी ने पुलिस को फोन कर बुलाकर उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रार्थी की झपट्टा मारकर तोड़ी हुई सोने की चैन का कुछ भाग टूटकर गिर गया है और गुम हो गया है। दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया है। उसका एक साथी जो मौके से फरार हो गया था प्रार्थी को बाद में दोनों झपट्टा मारों के नाम व पते की जानकारी हुई तो दोनों ग्राम पतरौआ के निवासी नन्हें व उसका सगा भाई श्योराज पुत्रगण विजय सिंह निकले। पुलिस ने पकड़े हुए व्यक्ति का चालान शांति भंग में कर दिया। दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जिससे उपरोक्त दोनों झपट्टा मारों के हौंसले बुलन्द हो गये, जो प्रार्थी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही प्रार्थी को एस०सी० / एस०टी० झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दे रहे हैं। वहाँ मौजूद सफाईकर्मी अनिल पुत्र बृजकिशोर एवं वहाँ से गुजर रहे विकास अग्रवाल उपरोक्त घटना के साक्षी हैं। प्रार्थी ने पूर्व में एक लिखित सूचना थाने पर दी जिस पर सिर्फ पकड़े गये व्यक्ति पर ही कार्यवाही हुई एवं

Digitally signed by DEEPAK KUMAR JAISWAL
Date: 2026.06.12 20:05:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 04.04.2026 को जनसुनवाई कोतवाली चन्दौसी (सम्भल) के अन्तर्गत रसीद सं0 2145 के माध्यम से भी लिखित में सूचना दी जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सम्भल को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः महोदय से आग्रह है कि प्रार्थी व उसके परिवार की जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त घटना के अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना चन्दौसी को सुसंगत धाराओं में एफ०आई०आर० दर्ज करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

संबंधित थाने से आख्या आहुत की गयी। थाने की आख्यानुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई भी अभियोग पंजीकृत नही है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण पर आवेदक के गले में पहनी हुई सोने की चैन झपट्टा माकर तोडकर ले जाकर लूट कारित करने के आरोप लगाया गया है और साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने जब उन्हें पकड़ लिया तो वह आवेदक को एस0सी0/एस0टी0 मुकदमें में फंसाने की धमकी भी दे रहे थे।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **ओमप्रकाश अम्बाडकर बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र व अन्य क्रि० अपील नंबर–352/2020 निर्णय दिनांकित 16.01.2025** में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि किसी भी प्रकरण में मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा धारा–156 (3) दं०प्र०सं०/173 (4) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने हेतु मात्र संज्ञेय अपराध कारित किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी देखा जाना अनिवार्य है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को सभी तथ्यों की जानकारी है तथा विवेचना कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य, 2007 (59) ए०सी०सी० 739 तथा रामबाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, 2001 (43) ए०सी०सी० व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था ओमप्रकाश अम्बाडकर बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र व अन्य क्रि० अपील नंबर–352/2020 निर्णय दिनांकित 16.01.2025** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में अंगीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान धारा–223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 13.07.2026 को पेश हो।

(दीपक कुमार जायसवाल),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल, स्थित चन्दौसी।